**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 1826**

**शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**सीमेंट विनियामक प्राधिकरण**

**1826. श्री एस. मुत्तुकरुप्पनः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भवन निर्माता संघ ने सरकार से इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक सीमेंट विनियामक प्राधिकरण नियुक्त करने की मांग की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसा प्राधिकरण सीमेंट की कीमतों में निरंतर हो रही वृद्धि पर लगाम लगा सकता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कीमतों में असामान्य वृद्धि के कारण स्थावर संपदा विकासकों के साथ ही सरकार और निजी ठेकेदारों को भी भारी नुकसान होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जाएंगे?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) और (ख)**: जी, हाँ। सीमेंट विनियामक प्राधिकरण (सीआरए) नियुक्त करने के संबंध में भारतीय भवन निर्माता संघ के अभ्यावेदन प्राप्‍त हुए और सरकार द्वारा उन पर विचार किया गया था। वाणिज्य संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति द्वारा अपनी 95वीं रिपोर्ट में सीमेंट उद्योग के कार्य-निष्‍पादन संबंधी सीआरए की नियुक्ति की भी सिफारिश की गई थी। इन सिफारिशों/टिप्‍पणियों पर 2014 में विचार किया गया था और ‘की गई कार्रवाई रिपोर्ट’ 30.07.2014 को राज्य सभा पटल पर रख दी गई थी जिसमें यह बताया गया था कि सरकार सांविधिक विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार नहीं कर रही थी।

**(ग) और (घ)**: सीमेंट उद्योग को 1991 में लाईसेंस-मुक्त कर दिया गया है और आर्थिक उदारीकरण नीति के तहत 1989 से सीमेंट के मूल्य और वितरण से नियत्रंण को हटा दिया गया है। सीमेंट की कीमतें स्थानीय मांग और आपूर्ति, विनिर्माण इकाई से दूरी, श्रम लागत, स्थानीय करों आदि जैसे कई घटकों पर आधारित बाजार दबाव द्वारा निर्धारित होती हैं।

\*\*\*\*\*